

प्रेषक,

महिमा,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 14 दिसम्बर 2011

विषय:- जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु प्रथम चरण के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र संख्या 1863/3(67)यन्ता-पर्व0/2010 दिनांक 2.12.2010 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र धनौली के अन्तर्गत जयद्वार-तियाडा-फलपट्टी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य लम्बाई 12.00किमी0 हेतु प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस हेतु प्रथम चरण के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये धनराशि ₹151.20 लाख की लागत के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोंपरान्त पाई गयी औचित्यपूर्ण लागत ₹151.20 लाख (₹ एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में व्यय हेतु ₹ 0.20 लाख (₹ बीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i) उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्य को सुगमबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/ 11(2)/10-17 (सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii) आगणन न उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अर्धक्षेत्र अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में कटौत हो रही हो, तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय ध्यान करना सुनिश्चित किया जाय।
- (v) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

पुनर्विचार
श्री. न. ग. ग. स. स. स.

वज्र (DRO) / (DRO)
20/12/11

सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। बजट मैनुअल के संगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(ix) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, बूटीलिटी शिफ्टिंग आदि संबंधी मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत निर्माण कार्य के विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वहन पर रखी गई धनराशि से किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कों -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर- 02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-773/XXVII(2)/2011 दि०: 13 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महिमा)
अनु सचिव

संख्या: 3984/11(2)/11-08(सामान्य)/2011 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जगपद देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आठवों वृत्त, लो0नि0वि0 टिहरी गढ़वाल।
9. लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
10. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, थत्यूड टिहरी गढ़वाल।
11. गार्ड बुक।

Photo Copy
Attested
[Signature]

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)

आज्ञा से,

[Signature]

(महिमा)

अनु सचिव।